(6)

रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा (7) अनुभाग
संख्या=2462/15-7-16(57)/1998
लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

कृपया दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर नेहरू नगर गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 4 जून, 1999 के संदर्भ में ~~सूचित~~ सूचित करना है कि विद्यालय को शासनादेश संख्या-4077/15-7-16(57)/1998 दिनांक 23 अक्टूबर, 1998 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के आदेश जारी किये गये है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्त

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

व्यवस्थापक
दुर्गावती हेमराज टाह
सरस्वती विद्या मन्दिर
नेहरू नगर, गाजियाबाद

Manager
Durgawati Hemraj Tah
Saraswati Vidya Mandir
Nehru Nagar, Ghaziabad

Principal
DHRT Saraswati Vidya Mandir
Nehru Nagar, Ghaziabad

Scanned with OKEN Scanner

(7)

संख्या-4077/15-7-16(57)/1998

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर 1998 ~~जून, 1999~~

विषय:- दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर नेहरूनगर गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर नेहरू नगर गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) ~~विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी~~ का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायगी ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

... जायेगी और उन्हें सहायता

प्रमाणित
(... प्रसाद जोशी)
... अधिकारी,
... अनुभाग-7
... प्रदेश शासन

Principal
... Vidya Mandir

Scanned with OKEN Scanner

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जा
संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जा

भवदीय,

ह0/-

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0 4077(1)/15-7-1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मन्दिर नेहरूनगर गाजियाबा

आज्ञा से,

ह0/-

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

प्रमाणित

(जनार्दन प्रसाद जोशी)
अनुभाग अधिकारी,
शिक्षा अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन